संख्याः-1391/XVIII(II)/2011-1(86)/2008

104

प्रेषक,

पी0सी0शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादूनः दिनांकः 5-7- 2011

विषयः-ग्राम तलहेड़ी, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार में, मै0 असाही इण्डिया ग्लास लि0 को अपनी कम्पनी के कर्मचारियों के आवास हेतु 1.464 है0 भूमि क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-531/भूमि व्यवस्था-2010, दिनांक-9.7.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, ग्राम तलहेड़ी, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार में, मै0 असाही इण्डिया ग्लास लि0 को अपनी कम्पनी के कर्मचारियों के आवास हेतु 1.464 है0 भूमि क्रय की अनुमति, उत्तराखण्ड, (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(v) के अन्तर्गत, आवास विभाग उत्तराखण्ड शासन की सहमति/अनापत्ति एवं आपके द्वारा अनुमोदित/संस्तुत खसरा संख्या-133/181 के अनुसार निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैंः-

1- केता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।

2- केता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3- केता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विकय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा। भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन (कम्पनी के कर्मचारियों हेतु आवास का निर्माण) के लिए करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ कय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विकय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

2

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी ।

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– शासन द्वारा दी गयी भू क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिनों के लिये वैध होगी।

7– प्रस्तावित स्थल पर, निर्माण कार्य, आवास विभाग के अन्तर्गत प्रचलित, बिल्डिंग बायलॉज के अनुरूप ही विनियमित क्षेत्र से, मानचित्र स्वीकृत कराने के पश्चात ही शुरू किया जायेगा तथा क्षेत्र हेतु यथा आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं का भी विकास कराया जायेगा।

8– कलस्टर, नेवरहुड एव टाउनशिप विकास हेतु, निर्गत मार्ग निर्देशिका का अनुपालन किया जायेगा।

9– आवास विभाग के शासनादेश संख्या–459/V/आ0–2006–115/आ0/2007, दिनांक–20.2.2007 के अनुसार भू उपयोग उच्चीकरण शुल्क, राजकोष में जमा कराया जायेगा।

10– किसी भी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एंव सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

11– भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एंव ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

12– नियमानुसार योजना प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य औपचारिकतायें/अनापत्तियां प्राप्त कर ली जायेंगी।

13– सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्रोधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेगे।

14– उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त करदी जायेगी।

कृपया इस सम्बन्ध में तद्नुसार कार्यवाही करते हुए इस शासनादेश के क्रम में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

/

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।

पृ0प0सं0–391/समदिनांकित/2011

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

2– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

.....3

4– श्री संजय गन्जू, पुत्र श्री बन्सी लाल, मै0 असाही इण्डिया ग्लास लि0, ग्राम लाठर देवा हूण, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार।

5– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय।

6– प्रभारी मीडिया केन्द्र सचिवालय

7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनु सचिव।